सहकारी समितियाँ : अनौपचारिक कूड़ा संग्रहकर्ताओं को औपचारिक रूप देने हेतु

सुश्री सोनल एस. कदम *

पिछले कुछ दशकों में, आर्थिक विकास, तेजी से जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण संसाधन की खपत बढ़ गई है । इस कारण कचरा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। कचरा वृद्धि एक गहरी समस्या और महंगी चुनौती है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए । अकेले शहरी भारत प्रतिदिन लगभग 0.15 मिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) उत्पन्न करता है । वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों और प्रबंधन रणनीतियों को पर्याप्त रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा कचरे की मात्रा 2031 तक 165 मिलियन टन और 2050 तक 436 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है (डाउन टू अर्थ, 2022) ।

एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन में पुनर्चक्रण (Recycling) को महत्वपूर्ण माना जाता है। पुनर्चक्रण के तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं, अर्थात् पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण । पर्यावरणीय दृष्टिकोण लैंडफिल से कचरे का विचलन करके प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है । इससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है । आर्थिक दृष्टिकोण पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के प्रसंस्करण पर विचार करता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रसंस्करण लागत की तुलना में इसकी लागत कम है। सामाजिक दृष्टिकोण पुनर्चक्रण की प्रक्रिया पर केंद्रित है जहां व्यक्ति अनौपचारिक श्रम बाजार में शामिल होते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करता है।

कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि भारत जैसे विकासशील देशों में, नगरपालिका कचरे से सामग्री पुनर्प्राप्ति में अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक कचरा प्रबंधन सेवाओं की तुलना में कहीं अधिक योगदान देता है । क्योंकि अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करता है । अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों, परिवारों और निजी क्षेत्र के उद्यमों को श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती । वे संगठित, प्रायोजित, वित्तपोषित, अनुबंधित, प्रबंधित नहीं हैं और उन पर टैक्स भी नहीं लगता है । कचरा बीनने वाले अधिकांश पुरुष और महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं। वे सड़कों या लैंडफिल से कचरे को अलग करने, एकत्र करने, संभालने, निपटान करने और बेचने की गतिविधियों के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं । क्योंकि वे संसाधनों के पारिस्थितिक परिसंचरण को बढ़ावा देते हैं । वे लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करके पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ–साथ स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । हालाँकि, अक्सर उन्हें श्रमिकों के रूप में कानूनी मान्यता नहीं मिलती है ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान करने के लिए 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों में सुधार का सुझाव दिया । मंत्रालय ने अनौपचारिक क्षेत्र से कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों को एकीकृत करने में गहरी रुचि व्यक्त की । उन्हें औपचारिक प्रणाली में शामिल करने से कार्यबल और कामकाज को सुव्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा, साथ ही कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों को अधिक वांछनीय आय विकल्प भी मिलेंगे।

पहली बार अनौपचारिक कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों को औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली के किसी प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया गया था। हालाँकि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों के कार्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रणाली उन्हें कचरा प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में पहचानने में विफल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) ने कचरा संग्रहण गतिविधि को 'हरित कार्य' के रूप में मान्यता दी क्योंकि कचरा संग्रहण पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करके वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। हरित श्रमिकों यानी अनौपचारिक कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नीतिगत कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है। एमएसडब्ल्यू प्रबंधन संचालन और कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों की रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक नगरपालिका ठोस कचरा संचालन में एकीकृत करना आवश्यक है।

2015 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour

* अनुसंधान अधिकारी (संविदा), वैमनीकॉम, पुणे

Conference) ने, सिफारिश संख्या 204, 'अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण' (Transition from Informal to Formal Economy) को स्वीकार किया । यह सिफ़ारिश अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के तरीकों में से एक के रूप में सहकारिता पर प्रकाश डालती है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि सहकारी समितियों या अन्य संगठनों या आर्थिक रूपों के माध्यम से कूड़ा संग्रहकर्ताओं का संगठन उन्हे आर्थिक औपचारिकता और सामाजिक समावेशन के लिए लाभदायक हैं। इसके साथ ही, सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिकीकरण उनके हितों की रक्षा, बाजार तक पहुंच, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयोगी है। इससे उनकी आय और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड हैंडलिंग (SWaCH) एक उल्लेखनीय उदाहरण है :

सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड हैंडलिंग (SWaCH), भारत की ऐसी कचरा प्रबंधन सहकारी संस्था, जिसका पूर्ण स्वामित्व पुणे, महाराष्ट्र में स्व-रोज़गार कचरा संग्रहकर्ताओं और अन्य शहरी गरीबों के पास है। इसकी स्थापना कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत (KKPKP) द्वारा की गई थी । 3,500 की सदस्यता के साथ ऐसे बदलावों की नींव रखी गई, जिससे पुणे शहर के कचरा प्रबंधन के साथ-साथ कचरा बीनने वालों की कामकाजी स्थितियों में भी काफी सुधार हुआ । दिसंबर 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि, SWaCH की कचरा संग्रहण सेवाओं ने शहर के 70% हिस्से को कवर किया है । इसका मतलब है कि प्रति दिन 8,00,000 घर और सालाना 70,000 टन कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है। 2021 में, सहकारी समिति ने पुणे नगर निगम (पीएमसी) के लिए 100 करोड़ रुपये (INR 1 बिलियन) बचाए (ऑन द ग्राउंड, 2023)।

स्क्रैप डीलर कचरा बीनने वालों को कम भुगतान करते थे। स्क्रैप डीलरों द्वारा शोषण और अक्सर सामग्री को कम तौलने की वजह से कूड़ा बीनने वालों ने कबाड़ी की दुकानें भी स्थापित कर लीं। कूड़ा बीनने वाले इन दुकानों के मालिक हैं, प्रबंधन और संचालन करते हैं और सभी समान शेयरधारक हैं। उनके पास निर्णय लेने का समान अधिकार है और समान मुनाफा साझा करते हैं।

2010 में नलिनी शेखर और एंस्लेम रोसारियो ने बेंगलुरु में 'हसिरू दल' मतलब 'ग्रीन फोर्स' का गठन किया। 'हसिरू दल'के स्वरूप में कचरा संग्रहकर्ताओं को संगठित करके उन्हें स्थानीय ठोस कचरा प्रबंधन में एकीकृत करने और समाज में मान्यता प्रदान करने का उल्लेखनीय कार्य उन दोनों ने किया। इसका अनुकरण पूरे भारत में किया जा सकता है। सहकारी समितियों के माध्यम से कचरा संग्रहकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए और 11,400 से अधिक कचरा संग्रहकर्ताओं को पहचान पत्र प्रदान करने के नलिनी शेखर और एंस्लेम रोसारियो ने अथक प्रयास किया। इससे कचरा श्रमिकों को शहर के अधिकार क्षेत्र के भीतर कचरा एकत्र करने की अनुमति मिली। यहां तक की कूड़ा बीनने वालों को अधिकृत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, कूड़ा छंटाई और खाद बनाने की सेवाओं के लिए स्थानीय सरकार के साथ अनुबंध करने में भी मदद मिली। हसीरू दल ने कचरा संग्रहण, पुनर्चक्रण और जैविक प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर कचरा संग्रहकर्ताओं की क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम किया।

मुंबई, महाराष्ट्र में, स्त्री मुक्ति संगठन (एसएमएस) भारत में वंचित महिलाओं का समर्थन करने के लिए काम करता है। यह महिला कचरा बीनने वालों को बागवानी और खाद बनाने के लिए तैयार करता है। 2004 में, एसएमएस ने परिसर भगिनी विकास संघ (पीबीवीएस) महासंघ की स्थापना की। मुंबई में, 250 स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 2,500 कचरा बीनने वाले लोग हैं। इसके बाद, नवी मुंबई स्थित परिसर सखी विकास संस्था (पीएसवीएस) की स्थापना की गई, जिसके 500 सदस्य हैं। पीबीवीएस के सदस्यों ने सहकारी समितियों की स्थापना की और उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत किया। इससे उनके लिए हाउसिंग सोसायटी और अन्य व्यवसायों के साथ जीरो वेस्ट परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना संभव हो गया।

कचरा संग्रहकर्ताओं की पहचान, संगठन, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए औपचारिक कचरा प्रबंधन श्रृंखला में कचरा संग्रहकर्ताओं का एकीकरण महत्वपूर्ण है। एकीकरण और औपचारिकता के लिए स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित सहकारी मॉडल कचरा बीनने वालों के परिवर्तन को बढ़ावा देगा।

यह औपचारिकीकरण दृष्टिकोण न केवल कूड़ा प्रबंधन में पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इससे कूड़ा संग्रहकर्ताओं को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी ।

***